



2026:AHC:19410

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2512, वर्ष 2025

प्रवीन कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : राम मोहन
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कृष्णकांत सिंह, रवेश कुमार सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राम मोहन, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवेश कुमार सिंह, तथा प्रतिवादी-गाँव सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत सिंह को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह ग्राम कुंजलपुर, परगना एवं तहसील जलेसर, जिला एटा में स्थित गाटा संख्या 81/0.0480 हेक्टेयर और गाटा संख्या 97/0.121 हेक्टेयर भूमि पर निजी प्रतिवादी द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए; ये भूमियाँ राजस्व अभिलेखों में 'खाद का गड्ढा' और 'नवीन परती' के रूप में दर्ज हैं।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विचाराधीन भूखंड में प्रवेश को देखते हुए, अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उक्त भूखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाएं।

4. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने, राज्य की ओर से दिनांक 12.9.2025 को दायर किए गए जवाबी हलफनामे में किए गए कथनों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

